

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्र.-बोर्ड कार्मिक/अनु.नियु./ख/727/5395  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 09/04/2021

सचिव,  
कृषि उपज मण्डी समिति,  
.....जिला.....(म०प्र०)

विषय :-अनुकम्पा नियुक्ति की सहमति/अनुमति के संबंध में।

—00—

म.प्र.राज्य मंडी बोर्ड सेवा/मंडी समिति सेवा के दिवंगत सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. सी-3-12/2013/1/3, दिनांक 29 सितम्बर 2014 के दिशा निर्देशों के तहत परीक्षण उपरांत, अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया में अनियमितता प्रमाणित पाये जाने की दशा में अनुकम्पा नियुक्ति आदेश को संशोधित/निरस्त किया जा सकने, की शर्तों के अध्याधीन, शासन द्वारा जारी नवीन जिला स्तरीय सीधी भर्ती रोस्टर के आधार पर संयुक्त संचालक/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ऑचलिक कार्यालयों से संभाग अंतर्गत कृषि उपज मंडी समितियों में भृत्य/चौकीदार संवर्ग के रिक्त पदों की प्राप्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित आवेदकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कृषि उपज मंडी समितियों में भृत्य/चौकीदार संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जाने की सहमति प्रदान की जाती है :-


सं. क्रं	मृतक कर्मि का नाम/पदनाम /मृत्यु मृत्यु पूर्व पदस्थी स्थल	मृतक कर्मि की मृत्यु दिनांक	अनुकम्पा नियुक्ति आवेदक का नाम/मृतक कर्मि से संबंध	आवेदक की जाति/वर्ग	अनुकम्पा नियुक्ति की सहमति स्थल
01	02	03	04	05	06
1.	स्व. श्री सुभेष पाण्डे भृत्य कृषि उपज मंडी समिति सिहोरा जिला जबलपुर	03.05.2020	श्री सुमेश पाण्डे/ भाई	अनारक्षित (सामान्य)	कृषि उपज मंडी समिति सिहोरा जिला जबलपुर
2.	स्व. श्री हरिशंकर गुप्ता भृत्य कृषि उपज मंडी समिति डबरा जिला ग्वालियर	21.12.2019	श्री कपिल गुप्ता /पुत्र	अनारक्षित (सामान्य)	कृषि उपज मंडी समिति डबरा जिला ग्वालियर
3.	स्व. श्री लालसिंह रघुवंशी, भृत्य कृषि उपज मंडी समिति, मकसूदनगढ जिला गुना	17.11.2019	श्री रूपसिंह रघुवंशी /पुत्र	अनारक्षित (सामान्य)	कृषि उपज मंडी समिति मकसूदनगढ जिला गुना

सं. कं	मृतक कर्मी का नाम/पदनाम /मृत्यु मृत्यु पूर्व पदस्थी स्थल	मृतक कर्मी की मृत्यु दिनांक	अनुकम्पा नियुक्ति आवेदक का नाम/मृतक कर्मी से संबंध	आवेदक की जाति/वर्ग	अनुकम्पा नियुक्ति की सहमति स्थल
01	02	03	04	05	06
4.	स्व. श्री कैलाश रावतोले सहायक ग्रेड-2 कृषि उपज मंडी समिति बुरहानपुर जिला बुरहानपुर	17.04.2020	श्री शुभम रावतोले / पुत्र	अनारक्षित (सामान्य)	कृषि उपज मंडी समिति बुरहानपुर जिला बुरहानपुर
5.	स्व. श्री सुरेन्द्र सिंह पंवार सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति मंदसौर जिला मंदसौर	03.08.2020	श्री जितेन्द्र पंवार/ पुत्र	अनारक्षित (सामान्य)	कृषि उपज मंडी समिति मंदसौर जिला मंदसौर
6.	स्व. श्री कृष्ण भृत्य कृषि उपज मंडी समिति भिण्ड जिला भिण्ड	20.01.2020	श्री शैलेन्द्र गौर/ पुत्र	अनुसूचित जाति	कृषि उपज मंडी समिति आलमपुर भिण्ड जिला भिण्ड
7.	स्व. श्री कृपाराम बमोत्रिया, चौकीदार कृषि उपज मंडी समिति इन्दौर जिला इन्दौर	28.03.2020	श्री माखन बमोत्रिया/ पुत्र	अन्य पिछडा वर्ग	कृषि उपज मंडी समिति गौतमपुरा जिला इन्दौर

संबंधित कृषि उपज मंडी समितियों में अनुकम्पा नियुक्ति देने बावत् आदेश का प्रारूप संलग्न है।

अतः दी गई सहमति के आधार पर तत्काल अनुकम्पा नियुक्ति आदेश कृषि उपज मंडी समिति से जारी कर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

  
 (प्रियंका दास)  
 प्रबंध संचालक-सह आयुक्त  
 म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
 भोपाल।

क्र.-बोर्ड कार्मिक/अनु.नियु./ख/727/5396

भोपाल, दिनांक 09/04/2021

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष सहायक माननीय, मंत्री जी, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, सह अध्यक्ष मंडी बोर्ड।
2. निज सचिव, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. अपर संचालक(वित्त) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक/उप संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय..... ।
5. कार्यपालन यंत्री, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग ..... ।
6. उप संचालक(वित्त) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
7. भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मंडी समिति, .....जिला..... (म.प्र.)
8. श्री .....पिता/पति/भाई स्व.श्री ..... निवासी :-  
..... (म.प्र.) की ओर  
भेजकर निर्देशित किया जाता है कि समस्त शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजो  
सहित सचिव कृषि उपज मंडी समिति, .....जिला.....  
(म.प्र.) से संपर्क करें।

  
प्रबंध संचालक-सह आयुक्त  
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल।

कार्यालय, कृषि उपज मंडी समिति  
.....जिला.....(म0प्र0)

कमांक/मंडी स्था./अनु.नि./

.....दिनांक .....

::आदेश::

म.म.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के पत्र कमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/अनु.नि./.....दिनांक ..... एवं मंडी समिति.....प्रस्ताव कमांक/दिनांक.....के पालन में स्व0श्री ..... पदनाम ..... कृ.उ.म.स.....जिला.....के पुत्र/पुत्री./श्री/श्रीमती/कु.....को कृषि उपज मंडी ..... जिला.....में सहायक ग्रेड-3 संवर्ग के जाति ..... वर्ग के रिक्त पद पर वेतनमान.....एवं अन्य भत्तो पर आगामी आदेश पर्यन्त दो वर्ष की परीविक्षा अवधि पर अनुकम्पा नियुक्ति, निम्न शर्तों की अधीन प्रदान की जाती है :-

1. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह के अन्दर पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होना होगा। उक्त समय अवधी समाप्त होने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।
2. कर्मचारी को भारत का नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा एवं अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करने के लिये नियमानुसार शपथ लेनी होगी।
3. प्रथम नियुक्ति के बाद उस माह का वेतन प्राप्त करने के पूर्व कर्मचारी को संबंधित जिले के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कर्मचारी का स्वास्थ्य सेवा के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया तो कर्मचारी की सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
4. म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कं. एफ सी-15/2012/1/3 दिनांक 24 नवम्बर 2012 में जारी निर्देश के परिपेक्ष्य में शपथ-पत्र के आधार पर यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
5. प्रथम नियुक्ति के समय कर्मचारी को घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह उनके द्वारा प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेज(अंकसूची/जाति प्रमाण पत्र) सत्य व सही हैं तथा सभी नियमों का पालन करेगा जो कि मंडी एवं राज्य के शासकीय कर्मचारियों पर लागू होते हैं।
6. नियुक्ति पश्चात उपस्थिति के समय प्रस्तुत शैक्षणिक अर्हता संबंधी अंकसूची/जाति प्रमाण पत्रों का संबंधित संस्था/कार्यालय से सत्यापन कराया जावेगा। यदि संबंधित कार्यालय से प्रतिकूल रिपोर्ट पाई गई तो कर्मचारी की सेवायें बिना कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
7. प्रत्येक कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति अस्थाई एवं अन्य आगामी आदेश तक मानी जावेगी। इस प्रकार ऐसे कर्मचारियों की सेवायें कभी भी एक माह की सूचना अवधि के बाद अथवा सूचना अवधि के बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार यदि कर्मचारी अपनी अस्थाई सेवा छोड़ना चाहे तो उसे भी एक माह की सूचना अवधि में कार्य करना होगा अथवा एक माह का वेतन मंडी समिति के कार्यालय में जमा करना होगा।
8. एक माह का नोटिस दिये बिना और उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर शर्त(7)के अन्तर्गत देय राशि उनसे भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूल योग्य होगी।
9. परीविक्षा पर नियुक्त कर्मचारी को नियुक्ति दिनांक से एक सप्ताह में यह अनुबंध करना होगा कि वह कम से कम तीन वर्ष तक मंडी समिति की सेवा करेगा और अनुबंध के उल्लंघन की दशा में तीन माह के वेतन एवं भत्तों की पूर्ति के रूप में नगद मंडी समिति में जमा करेगा।
10. स्थायी सेवा का कोई भी सदस्य सेवा छोड़ने या त्यागपत्र देने संबंधी आशय की सूचना तीन कलेण्डर माह की लिखित सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को दिये बिना अपनी सेवा नहीं छोड़ेगा या त्याग पत्र नहीं देगा। सेवा के किसी भी सदस्य द्वारा उपर्युक्त उपबंधों को भंग किये जाने पर वह ऐसे भंग के लिए प्रतिकार के रूप में उतनी कालावधि के जितने से कि वस्तुतः दी गई सूचना कालावधि विहित की गई कालावधि से कम पडती हो, वेतन के बराबर की रकम मंडी समिति को चुकाने का उत्तरदायी होगा।

11. नियुक्ति के लिये वांछित एवं किसी भी अभिलेख, शपथ पत्र इत्यादि में आवश्यक जानकारी का उल्लेख न होने तथा जानकारी असत्य, भ्रामक त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर बिना सूचना दिये सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
12. कार्यभार ग्रहण के दिनांक से मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 एवं तत्विषय पर राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिर्नेश अनुसार प्राप्त होने वाले मासिक वेतन एवं मंहगाई भत्ते से नियमानुसार राशि परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए कर्मचारी अंशदान के रूप में कटोत्रा की जावेगी।
13. आरक्षित वर्ग के लिये स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हो तो उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र नियुक्ति दिनांक से छः माह की अवधि में कृषि उपज मंडी समिति के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
14. यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जाती है। परिवीक्षा अवधि में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों का संबंधित संस्था/कार्यालय से सत्यापन आवश्यक है। परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
15. शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से सी.पी.सी.टी परीक्षा 03(तीन) वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय अवधि में उल्लेखित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
16. कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण करने के साथ-साथ निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से 03(तीन) वर्ष में कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय अवधि में उल्लेखित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी :-
  1. यू.जी.सी.द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
  2. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
  3. डी.ओ.ई.ए.सी.सी.से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।
  4. शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।
  5. शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एकवर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट"(COPA)प्रमाण पत्र।

हस्ताक्षर

सचिव

कृषि उपज मंडी समिति

.....जिला..... (म0प्र0)

.....दिनांक.....

क्रमांक/मंडी स्था./अनु.नि./.....  
प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।

1. निज सचिव प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. कलेक्टर जिला .....(म0प्र0)
3. अपर संचालक(कार्मिक) म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,आंचलिक कार्यालय..... (म0प्र0)
5. भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मंडी समिति.....जिला.....(म0प्र0)
6. लेखाधिकारी(पेंशन) मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
7. स्थापना शाखा/लेखा शाखा/व्यक्तिगत नस्ती, कृषि उपज मंडी समिति..... जिला.....  
..... (म0प्र0)
8. श्री/श्रीमती/कु0/.....स्व.पिता..... निवासी.... की ओर  
पालनार्थ।

हस्ताक्षर

सचिव

कृषि उपज मंडी समिति.

.....जिला.....(म0प्र0)